न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 55/2025
जीसीएमएस सं0 :: 2025/82

उगम सिह उम्र 70 वर्ष पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम बगडियों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल नि0 चारिया तह0 सुजानगढ़ जिला चूरू।

– वादी,

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, दांतारामगढ़ तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री कैलाश स्वामी , वकील वादी की ओर से।

दावा अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम ।

निर्णय दिनांक :: 28.10.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 144 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा व मूल ख0नं0 145 रकबा 155 बीघा 9 बिस्वा वाके तत्कालीन ग्राम डूकिया तह0 दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित थी, जो अन्य कृषि भूमियों के साथ–साथ उक्त कृषि भूमिया मु0 जोरा बेवाह भूर सिंह के खुद कब्जे काश्त व बाडदार के रूप में खातेदारी दर्ज होकर उक्त कृषि भूमियो की खातेदार काश्तकार थी जिसका अंकन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तेयार की गयी मिशन बंदोबस्त संवत् 2008 से स्पष्ट है। खातेदार जोरा कंवर निर्वसीयती नाऔलाद फौत हो गयी थी तथा दावे की मद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमियों में से 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि मु0 जोरा कंवर को राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से बाई ऑपरेशन आफ लॉ उक्त कृषि भूमियां प्राप्त हुई, जिसकी ताईद राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से ताईद होती है तथा खातेदारी निर्वाद रूप से संवत् 2034 तक बदस्तुर रही मु0 जोरा निर्वसीयती नाऔलाद फौत हो गयी, जिसका वादी प्रथम श्रेणी का वारिस है तथा मु0 जोरा के जीवनकाल में वह मु0 जोरा के साथ रहकर उक्त कृषि भूमियों पर जोरा के साथ शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा था। उसके बाद मु0 जोरा का अचानक देहान्त हो जाने व वादी बालयावस्था में होने के कारण वादी का जायन्दा पिता बहादुर सिंह वादी की परवरिश व शिक्षा करवाने के लिए अपने पास ले गया लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमियां वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियां रही है। वादी उगम सिंह ने अपनी बाल्यावस्था में ही मु0 जोरा की सेवा सुश्रषा की व मौखिक वसीयत से उक्त

कविता

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

कृषि भूमियां वादी को संभला दी। पुराने मूल ख0नं0 144 के बाद में पैमाईश के दौरान नये ख0नं0 144/1 रकबा 1.62 है0 व ख0नं0 144/2 रकबा 0.81 है0 बनाये गये जिनके वर्तमान ख0नं0 335 रकबा 2.4300 है0 वर्तमान ग्राम बगडियों का बास बनाये गये जिसकी खातेदारी रकबा 1.6200 है0 पर मु0 जोरा बेवाह भूर सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम डूकिया क नाम से खातेदारी बदस्तुर रही जो संवत् 2034 तक बदस्तुर रही। इसी प्रकार पुराने मूल ख0नं0 145 जिसका कुल रकबा 155 बीघा 90 बिस्वा था, जिसका बाद में पैमाईश के दौरान कई बट्टा नंबर ना दिये गये जिनमें से 145/1/1/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा भी बनाये गयेजिसके कब्जे काश्त व मौके के हिसाब से वर्तमान ख0नं0 418 रकबा 0.2500 है0 ख0नं0 736/419 रकबा 3.5500 है0 ख0नं0 489 रकबा 0.2400 है0 व ख0नं0 490 रकबा 5.7500 है0 में से 0.9400 है0 कुल रकबा 6.0600 है0 वाके ग्राम बगडियों का बास बने जिसकी खातेदारी मु0 जोरा बेवाह भूर सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम डूकिया के नाम से खातेदारी बदस्तुर रही जो संवत् 2034 तक बदस्तुर रही। इस प्रकार स्पष्ट है कि दावे की मद सं0 1 ता 3 में वर्णित कृषि भूमियां मु0 जोरा बेवाह भूर सिंह बाडदार कौम राजपूत नि0 डूकिया के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमियां रही है जो मु0 जोरा को बाई ऑपरेशन ऑफ ला खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं, जिसपर वह अपने जीवन काल में उक्त कृषि भूमियों पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त रही उसके बाद मु0 जोरा का नाऔलाद निर्वसीयती देहान्त हो गया। मु0 जोरा का देहान्त हो जाने के कारण पैमाईश के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने ना0क0सं0 558 ग्राम डूकिया भरा गया, जिसमें कथन किया गया कि आदेशानुसार भरा गया है आदेश ना0करण सं0 557 पर चस्पा है दिनांक 19.09.1978 उक्त ना0क0 के कॉलम सं0 14 में लिखा गया है कि आदेश श्रीमान् तहसीलदार साहब क्रमांक 361 आरए 11.09.78 व श्रीमान् अति0 जिलाधीश महोदय क्रमांक 2930/एसआर 01.07.78 के अनसार आदेशानुसार ना0क0सं0 557 पर चस्पा है। का नोट लगाकर मु0 जोरा जो कि ना0क0 के कॉलम सं0 5 में कृषक के रूप में खातेदारी दर्ज थी जिसमें पुराने ख0नं0 144/1 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व पुरानेख0नं0 145/1/1/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा व शेष रकबा पी0ड0डी0 को गैर मुमकिन सडक के लिए खातेदारी में दे दिया गया व ख0नं0 144/1 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व 145/1/1/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी मु0 जोरा के वारिशान वादी जो कि मु0 जोरा का प्रथम श्रेणी का वारिस था तथा उसके द्वारा भूमियां जरिये मौखिक वसीयत से अपने जीवन काल में ही संभला दी गयी थी,इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने उक्त तथ्यो की जांच किये बिना बाला–बाला नायब तहसीलदार, दांतारामगढ ने दिनांक 19.09.1978 को बाला–बाल चुनौतिग्रस्त ना0करण तस्दीक कर मु0 जोरा की खातेदारी उक्त कृषि भूमियों से हजब फरमायी जाकर राजकीय भूमि घोषित करते हुए राज0 सरकार के नाम खातेदारी बिना अधिकार के खातेदारी दर्ज कर दी गयी जो वादी के खातेदार अधिकारों से विपरित होने से भरा गया ना0क0 सं0 558 ग्राम डूकिया मद सं0 क,ख,ग,घ,ड अनुसार निरस्त होने योग्य है। दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियों की खातेदारी नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ ने बिना कानूनी हक अधिकार के कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए वादी के खातेदारी अधिकारों के विपरित मु0 जोरा के वारिसों के नाम खातेदारी अंकित न कर राजस्थान सरकार के नाम भूमियों पर

21/9/14

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

मृतक के उत्तराधिकार वादी को उसका वारिश न मानकर खातेदारी बाला–बाला सरकार के नाम दर्ज कर दी गई जो वादी के खातेदारी अधिकारों के विपरित होने से प्रभाव शून्य है। वादी प्रश्नगत कृषि भूमियों की खातेदारी मृतक मु0 जोरा के वारिसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, 15 व 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। दावे में प्रश्नगत भूमियों पर वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ चला आ रहा है। वादी ने वाद पत्र पेश कर वाद वादी डिक्री करने हेतु निवेदन किया है कि दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियां ख0नं0 335 रकबा 2.4300 है0 में से 1.6200 है0 व वर्तमान ख0नं0 418 रकबा 0.2500 है0 ख्र0नं0 736/419 रकबा 3.5500 है0 ख0नं0 489 रकबा 0.2400 है0 व ख0नं0 490 रकबा 5.7500 है0 में से 0.9400 है0 कुल रकबा 6.0600 है0 वाके ग्र्रम बगडियों का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल फरमाया जावे व भरा गया ना0करण सं0 558 तत्कालीन ग्राम डूकिया वादी के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ प्रारम्भतः प्रभाव शून्य व बिना अधिकार क्षेत्र के भरा हुआ होने के कारण उसे निरस्त फरमाया जावे।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 व 2 उपस्थित नहीं आये । नायब तहसीलदार पलसाना से प्रकरण में मौके व कब्जे काश्त की रिपोर्ट तलब पर उनके द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/25/2071/दिनांक 3.09.25 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमियां वर्तमान ख0नं0 335 रकबा 2.43 है0 में से 1.62 है0 व वर्तमान ख0नं0 418 रकबा 0.25 है0 ख0नं0 736/419 रकबा 3.55 है0 ख0नं0 489 रकबा 0.24 है0 ख0नं0 490 रकबा 5.75 है0 मेंसे 0.94 है0 कुल रकबा 6.06 है0. वाके ग्र्राम बगडियों का बास प0ह0 डूकिया तह0 दांतारामगढ़ का मौका देखा गया तथा मोके पर उपरोक्तानुसार भूमियां खाली पडी हुई है व उक्त भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में खाता सं0 1 में दर्ज रिपोर्ट है।

वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति चालु जमाबंदी खाता सं0 1 ग्राम बगडियों का बास, प्रमाणित प्रति मिलांन क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रति चालू नक्शा, प्रमाणित प्रति मिशल संवत् 2008, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 ग्राम डूकिया, प्रमाणित प्रति जमाबदी संवत् 2031 से 2034 ग्राम डूकिया, प्रमाणित प्रति जमाबदी संवत् 2035 से 2036 ग्राम डूकिया, प्रमाणित प्रति नामतान्तकरण सं0 558 ग्राम डूकिया, प्रमाणित प्रति राजस्व शा से आदेश न होने की प्रतिलिपि आवेदन, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 ग्राम डूकिया पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की तथा मौखिक निवेदन भी किया गया कि जोरा देवी के पीहर पक्ष के प्रथम श्रेणी का वारिस है। यह जमीन स्वअर्जित है। उगमसिंह जोरा का पीहर पक्ष का भतीजा है। मौखिक वसीयत की गई। मेरा वर्तमान में जमीन पर कब्जा काश्त है। प्रथम सेटलमेंट में से मेरा नाम जमाबंदी में है। कुल 26 बीघा जमीन मेरे कब्जा काश्त में है। ख0नं0 144, 145 खसरा में मेरा नाम है। संवत्

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

2031–34 में भी मेरा नाम है। नामान्तकरण सं0 558 को चैलेंज किया गया है। ये खातेदारी नायब तहसीलदार ने भर दिया और जमीन को चैंज कर दिया । नायब तहसीलदार को नामान्तकरण भरने का अधिकार नहीं है। मेरे वाद पत्र का खण्डन नहीं है। जिस आदेश से जमीन परिवर्तन की गई है। वह अस्तित्व में नहीं है। सेटलमेंट के अधिकारियों को नामान्तकरण भरने का अधिकार नहीं है। यह नामान्तकरण पैमाईश के दौरान बदला गया हैं। मुझे खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि नायब तहसीलदार पलसाना से प्रकरण में मौके व कब्जे काश्त की रिपोर्ट तलब पर उनके द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/25/2071/दिनांक 3.09.25 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमियां वर्तमान ख0नं0 335 रकबा 2.43 है0 में से 1.62 है0 व वर्तमान ख0नं0 418 रकबा 0.25 है0 ख0नं0 736/419 रकबा 3.55 है0 ख0नं0 489 रकबा 0.24 है0 ख0नं0 490 रकबा 5.75 है0 मेंसे 0.94 है0 कुल रकबा 6.06 है0. वाके ग्ग्राम बगडियों का बास प0ह0 डूकिया तह0 दांतारामगढ़ का मौका देखा गया तथा मोके पर उपरोक्तानुसार भूमियां खाली पडी हुई है व उक्त भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में खाता सं0 1 में दर्ज रिपोर्ट होना बताया है। जबकि वादी द्वारा वाद पत्र बाबत अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर वाद वादी डिक्री करने हेतु निवेदन किया है कि दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियां ख0नं0 335 रकबा 2.4300 है0 में से 1.6200 है0 व वर्तमान ख0नं0 418 रकबा 0.2500 है0 ख0नं0 736/419 रकबा 3.5500 है0 ख0नं0 489 रकबा 0.2400 है0 व ख0नं0 490 रकबा 5.7500 है0 में से 0.9400 है0 कुल रकबा 6.0600 है0 वाके ग्ग्रम बगडियों का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल फरमाया जावे व भरा गया ना0करण सं0 558 तत्कालीन ग्राम डूकिया वादी के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ प्रारम्भतः प्रभाव शून्य व बिना अधिकार क्षेत्र के भरा हुआ होने के कारण उसे निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि पैमाईश के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने ना0क0सं0 558 ग्राम डूकिया भरा गया, जिसमें कथन किया गया कि आदेशानुसार भरा गया है आदेश ना0करण सं0 557 पर चस्पा है दिनांक 19.09.1978 उक्त ना0क0 के कॉलम सं0 14 में लिखा गया है कि आदेश श्रीमान् तहसीलदार साहब कमांक 361 आरए 11.09.78 व श्रीमान् अति0 जिलाधीश महोदय कमांक 2930/एसआर 01.07.78 के अनसार आदेशानुसार ना0क0सं0 557 पर चस्पा है। का नोट लगाकर मु0 जोरा जो कि ना0क0 के कॉलम सं0 5 में कृषक के रूप में खातेदारी दर्ज थी जिसमें पुराने ख0नं0 144/1 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व पुरानेख0नं0 145/1/1/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा व शेष रकवा पी0डब्ल्यू0डी0 को गैर मुमकिन सडक के लिए खातेदारी में दे दिया गया, जिसको निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस हेतु वादी को सक्षम कोर्ट में चाराजोही करनी चाहिए।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर